

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 6, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पुन्यकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक-शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मुशीलाल, लाल सिंह, मुन्ना सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं खंडल संभाग में कृषकों को पलेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शिवमोहन सिंह, सभापति, यात्रिका समिति का चौतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घन्टा

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(3) श्री वीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री ग्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2002 (क्रमांक 27 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(4) श्री पूरन सिंह बेड़िया, राज्यमंत्री जनशिकायत निवारण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(5) श्री आरिफ अकरील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 29 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(6) श्री रत्नेश सोलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. संकल्प

1 घन्टा

30 मि.

श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, राज्य न्यायिक सेवाओं के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि करने एवं सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का, संवैधानिक एवं वित्तीय कारणों से, पालन न हो सकने संबंधी शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 26 नवम्बर, 2002

डॉ.ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.